न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रार्थना पत्र नम्बर 28 / 2025

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

... पत्नी सीम सिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीया

बनाम

...प्रताप पुत्र गुलाबराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

...लाल पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

...कुमारी पुत्री गुलाबराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

...कुमार पुत्र गुलाबराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

... पुत्री गुलाबराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

... कुमार पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

राजेन्द्र कुमार पुत्र गुलाबराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ...र्थीया के नाम चक 16 एफटीपी खाता संख्या 314/87 खाता पुष्पा ज.स. 2073–76 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी मे आने–जाने के लिए अर्थात आवागमन के लिए कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थीया अपनी आराजी में सही ढंग से काश्त नहीं कर सकती प्रार्थीया को अपनी आराजी ... आने–जाने/काश्त करने के लिए मन्जूर शुदा रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थीया ...प्रार्थीगण के नाम से दर्ज कृषि भूमि में से चक 16 एफटीपी प.नं. 175/248 मु.नं. 45 किला नं. 4 व 5 में ... से पश्चिम पत्थर लाईन के साथ साथ चिपता हुआ 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1164 दिनांक 07.04.2025 द्वारा अप्रार्थी मोहन लाल/लाधूराम/महेन्द्रप्रताप/गुलाबराम के अनुसार प.न. 175/248 मु.न. 45 के किला नं. 15/2 गै.मु. रास्ता से किला नं. 15/1, 14 से होकर प्रार्थीया की कृषि भूमि खाता संख्या 87/63 में प्रवेश कर अपनी भूमि में प्रवेश कर सकेगा जिससे औकार ... व प्रार्थीया व अन्य काश्तकारों द्वारा प्रस्तावित रास्ता (प.न. 175/247 मु.न.36 किला नं. 4 व 5/1 के ...नी पासे) वाली समस्या का समाधान हो जाएगा अर्थात 175/548 (45) किला 15/2, 15/1, व 14 से ... राजपूत परिवार (समस्त) को रास्ता मिल जावेगा व 175/247 (36) किला नं. 4 व 5/1 में रास्ते की ... प्रार्थीगण की भूमि के टुकडे नही होना व प्रार्थीया को रास्ता की आवश्यकता समाप्त हो जावेगी व अप्रार्थीगण की भूमि के टुकडे नही होना व प्रार्थीया को रास्ता की आवश्यकता समाप्त हो जावेगी की अनुशंषा की है।

...लिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की है।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की ...विक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर ...कृत करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के
ना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण
ा गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि चक 16 एफटीपी में
ल करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः
रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंधिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र
र्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 16 एफटीपी के प.न. 175/248 मु.न. 45
ला न. 14,15 की दक्षिणी पासे पर पूर्व से पश्चिम 2–2 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है और
र्थीया के नाम से चक 16 एफटीपी में दर्ज कृषि भूमि मे से उक्तानुसार कृषि भूमि का अप्रार्थीगण को
तेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अप्रार्थी की कब्जा अनुसार इनके चिपती भूमि इनके नाम राजस्व
कार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार
कन किया जावें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल
फतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 6.6.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया